मुख मन्त्री ऐला भोग्या योजना

कर्नाटक राज्य सरकार ने एक योजना शुरू की है जो अपने नागरिकों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करती है। एलपीजी कनेक्शन के अलावा, योजना आईएसआई मार्क के साथ डबल बर्नर गैस स्टोव और लाभार्थियों को दो मुफ्त सिलेंडर प्रदान करती है।

पात्रता

निम्नलिखित घराने योजना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं

- PHH (प्राथमिकता घरेलू) और AAY (अंत्योदय अन्न योजना) राशन कार्डधारी जिनके पास एलपीजी कनेक्शन नहीं है।
- वे सभी निर्माण श्रमिक जो कर्नाटक भवन और अन्य सिन्नर्माण कर्मकार बोर्ड से पंजीकृत हैं जिनके पास एलपीजी कनेक्शन नहीं है। धन आवंटन
- खाद्य विभाग अन्य चार भाग लेने वाले विभागों अर्थात् खाद्य विभाग, उपभोक्ता मामले, नागरिक आपूर्ति और कानूनी मेट्रोलॉजी, KBOCWWB समाज कल्याण विभाग, श्रम विभाग और वन पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग के तहत कार्यान्वयन विभाग होगा। इस योजना को लागू करने के इच्छुक सरकार के अन्य विभाग / बोर्ड / निगम खाद्य विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
- निधि को प्रत्येक विभाग से कार्यान्वयन विभाग में स्थानांतरित किया जाएगा
- विशेष विभाग के प्रमुख के तहत चयनित लाभार्थियों की संख्या के आधार पर खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग।
- यदि कोई आवेदक विभिन्न श्रेणियों से संबंधित है, तो नीचे दी गई प्राथमिकताओं के अनुसार वरीयता दी जाएगी। ओ निर्माण श्रमिक

ओ SCP / TSP

- ० वन विभाग
- ० खाद्य विभाग

- कई विभाग अपने लाभार्थियों के सेट के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और कानूनी मेट्रोलॉजी विभाग में सब्सिडी स्थानांतरित करते हैं।
- सिलेंडर, नियामक, सुरक्षा नली, डीजीसी बुकलेट, निरीक्षण और स्थापना प्रभार के लिए सुरक्षा जमा (एसडी) और पहले रिफिल चार्ज का भुगतान चेक / डीडी द्वारा अग्रिम रूप से कुछ चुनिंदा गैस एजेंसी को किया जाएगा जो गैस एजेंसी द्वारा सौंपी जाएगी। उपायुक्त हर महीने MMABY लाभार्थियों के साथ।
 बाद में रिफिल शुल्क एजेंसी द्वारा किए गए दावे पर प्रतिपूर्ति के रूप में प्रत्येक तिमाही में गैस एजेंसी को भुगतान किया जाएगा।

MMABY का कार्यान्वयन

- जिले के प्रभारी मंत्री द्वारा प्रबंधित एक जिला-स्तरीय चयन और निगरानी समिति लाभार्थियों का चयन करने के लिए जिम्मेदार है।
- उन नागरिकों की सूची जिनके पास गैर-गैस गृह नहीं हैं, राशन कार्ड जिला स्तरीय चयन और निगरानी समिति को दिए जाएंगे।
- जिले के भीतर, सदस्य सचिव राज्य में जिले के लिए चरण I लक्ष्य की गणना में पालन की गई उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए, चरण I एफपीएस वार में लाभार्थियों की संख्या की गणना करता है।
- सदस्य सचिव MMABY के दिशा-निर्देश देता है और चरण- I के लिए लाभार्थियों का चयन करने के लिए समिति के विधायकों को लक्ष्य सूची FPS वार सौंपता है।
- यदि विधायक एक सप्ताह के भीतर चरण I लाभार्थियों की सूची को अंतिम रूप देने में असमर्थ है, तो जिला चयन समिति प्राधिकरण को सूची को अंतिम रूप देने की सिफारिश करती है।
- वन विभाग ने वितीय वर्ष 2017-18 के लिए लाभार्थियों की सूची तय की है। इसलिए RFO कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में अपने आवेदन दर्ज करने के लिए जिम्मेदार होगा।

- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी जो पहले से ही अपने गैस कनेक्शन प्राप्त कर चुके हैं, वे मुफ्त गैस स्टोव और योजना के तहत रिफिल के लिए पात्र नहीं होंगे।
- चरण- I लाभार्थियों को सूचित करने के बाद, 18 वर्ष से अधिक आयु के उस परिवार के PHH / AAY राशन कार्ड में कोई भी महिला सदस्य ग्राम पंचायत कार्यालय / जन स्नेही केंद्र / बैंगलोर 1 / कर्नाटक 1 केंद्र से संपर्क कर सकती है और MMABY के लिए आवेदन कर सकती है। निर्धारित आवेदन।
- सभी चरण- I के आवेदक को सेवा कियोस्क पर आधार संख्या प्रदान करना है और घर में गैस कनेक्शन की उपस्थिति सुनिश्चित करना है।
- आवेदक आवेदन जमा करते समय उस क्षेत्र में मौजूद एजेंसी का चयन कर सकता है।
- आवेदन पूरा होने के बाद, चरण- I के पात्र लाभार्थियों को एक बेचान जारी किया जाएगा। यह समर्थन बताता है कि आवेदक MMABY के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है।
- आवेदन खाद्य निरीक्षक को भेजा जाएगा। एक अद्वितीय उपभोक्ता आईडी संख्या उत्पन्न की जाएगी जो बाद के सभी उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती है। FI द्वारा सत्यापित करने के बाद आवेदक को एक एसएमएस प्राप्त होता है।
- चेक की एक फोटोकॉपी और लाभार्थी सूची प्रत्येक लाभार्थी को FI के माध्यम से भेजी जाती है। लाभार्थी पूर्व भरे हुए आवेदन पत्र, MMABY पावती, चेक की फोटोकॉपी और एलपीजी वितरक को आदेश जारी करता है।
- ओएमसी से मंजूरी मिलने पर, वितरक एसवी को लाभार्थी को जारी करता है और लॉगिन-आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके एफसीएस सॉफ्टवेयर के वेब पोर्टल में विवरण अपलोड करता है।